न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1125 / 2024
अनवान : –

1. ईन्द्राज पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी शक्कर मन्दोरी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)

– **वादी**

बनाम्

1. नेतराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी शक्कर मन्दोरी हाल कंगनपुर जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 442 / 322 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि वादी की मामी मृतका सरस्वती पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीया का पिता है। अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार का स्वर्गवास हो चुका है। अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 2 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:11:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण अशोक कुमार, चित्रपति शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीया का पिता है। अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार का स्वर्गवास हो चुका है। अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 443/434 की कुल 5.7280 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 259/247 की कुल 16.8440 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व कानसर के खाता स0 144/135 की कुल 41.8250 हैक्ट भूमि से 253/11950 हिस्सा भूमि वादीया के पति अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीया का पिता है। अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार का स्वर्गवास हो चुका है। अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही ... द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक अशोक कुमार के ... नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:11:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 443/434 की कुल 5.7280 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 259/247 की कुल 16.8440 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व कानसर के खाता स0 144/135 की कुल 41.8250 हैक्ट भूमि से 253/11950 हिस्सा भूमि वादीया के पति अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज है, उक्त तीनों खातों में अशोक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:11:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1125/2024

अनवान : –

1. ईन्द्राज पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी शक्कर मन्दोरी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)।

– वादी

बनाम्

1. नेतराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी शक्कर मन्दोरी हाल कंगनपुर जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1125 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 442/322 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि में से प0 नं0 388/406 (103) के किला नं. 5 व 6 प्रत्येक की 0.2530 है0 व प0 नं0 389/406 (104) के किला नं. 1, 2, 9, 10 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 389/406 (104) के किला नं. 11, 12, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:11:10 IST
Reason: SelfAttested